फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

हरिराम बनाम संतरा वगै0

किस्म मुकदमा– अपील नामान्तकरण मु0नं0– 02/2022

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

निर्णय दावा उदघोषणा एवं स्थाई निषे0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय अपील हेतु पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि खसरा नंबर 493, 88, 95 वाके ग्राम पांचोली तह0 सिकराय में स्थित है जिसमें मृतक उदय पुत्र चन्दर का 1/8 हिस्सा दर्ज है एवं उदय पुत्र चन्दर का स्वर्गवास दिनांक 23.08.2019 को हो गया। उदय पुत्र चन्दर प्रार्थी का सगा भाई था। उदय की पत्नी संतरा ने उदय के जीवनकाल में ही रामकरण पुत्र भरोसी के साथ शादी कर ली एवं आज भी उसी के साथ रहती है। मृतक उदय के कोई पुत्र पुत्री पैदा नहीं हुई न ही जीवित है। उदय मृत्यू से पूर्व अपीलाण्ट के पास ही रहता था। उदय की मृत्यू के बाद उसके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण खोलने हेतु अपीलाण्ट ने आवेदन किया तो पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 266 भरा गया लेकिन जांच रिपोर्ट में लिखा कि उदय की पत्नी जिंदा है एवं पांचोली में नहीं रहती है इस आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया जो कि गलत है। मृतक उदय के एकमात्र वारिस अपीलाण्ट है इसलिए ग्राम पंचायत के निर्णय दिनां 20.01.2022 को निरस्त कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मृतक उदय के कोई संतान नहीं है, उदय पुत्र चन्दर की मृत्यू से पूर्व में ही संतरा दूसरी जगह नाता चली गई है। उक्त से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय विधिवत नहीं है। ग्राम पंचायत के निर्णय से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि मृतक उदय का विधिक वारिस कौन है, इसलिए ग्राम पंचायत का नामान्तकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 266 में ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2022 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार सिकराय को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	